संख्याः 720 / 79–6–2013

प्रेषक,

श्री जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**

शिक्षा अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक : 25 जुलाई, 2013**

विषय–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता संबंधी आवश्यक निर्देश।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है, जिसमें छात्रों को मध्यावकाश में गर्म पका–पकाया भोजन इस उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है कि छात्र नामांकन में वृद्धि हो सके, छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखने के साथ विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्राप आउट) में कमी लायी जा सके, छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके तथा विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र–छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाई–चारे की भावना में वृद्धि की जा सके।

मध्यान्ह भोजन योजना की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत आवश्यक है कि **स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की गुणवत्ता** के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय –

खाद्यान्न के उठान एवं भंडारण से संबंधित

- मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न यथा चावल, गेहूँ आदि को गोदाम से उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वह सड़ा–गला या खराब न हो। साथ ही प्रत्येक माह भारतीय खाद्य निगम से उठान के समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के सैम्पल के पैकेट बनाये जायें जिनमें से एक पैकेट भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पर तथा दूसरा ब्लॉक गोदाम पर सुरक्षित रखा जाये। इसी प्रकार सैम्पल का एक पैकेट कोटेदार तथा एक पैकेट विद्यालय में भी सुरक्षित रखा जाय। साथ ही साथ एक–एक पैकेट सम्बन्धित विकास क्षेत्र के खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाये जिससे कि विद्यालयों के निरीक्षण के समय इस सैम्पल से खाद्यान्न की गुणवत्ता का मिलान किया जा सके। यह भी सुनिश्चित

किया जाये कि प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्न का उठान एवं वितरण करते समय खाद्यान्न की मात्रा का वजन किया जाये जिससे कि घटतौली की आशंका न रहे।

- जहां पर खाद्यान्न रखा जाय वहां सुनिश्चित किया जाय कि वह स्थान साफ एवं सूखा हो।

मध्याह्न भोजन के पकाने से संबंधित

- मध्यान्ह भोजन पकाने के पूर्व, पकाने के दौरान, भोजन वितरण करने तथा वितरण के पश्चात् रसोईघर, बर्तन व खाद्य सामग्री की स्वच्छता तथा साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय।
- विद्यालय में निर्मित रसोईघर में ही भोजन पकाया जाना सुनिश्चित किया जाय। **किसी भी दशा में खुले में भोजन पकाने की अनुमति न दी जाय।**
- भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सम्पूर्ण सामग्री मानकानुसार हो, यथा–आयोडीन युक्त नमक, एगमार्क मसाले एवं सीलबन्द तेल आदि। मसालों को भी एयरटाइट बर्तनों में रखा जाय तथा किसी भी दशा में अन्य किसी प्रकार के बर्तन में न रखा जाय। अच्छी ब्राण्ड का तेल/घी प्रयोग में लाया जाय तथा खुले तेल/घी का प्रयोग न किया जाय।
- **प्रत्येक माह में जनपद के रैण्डम आधार पर चयनित कम–से–कम 10 विद्यालयों के भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के सैम्पल को निर्धारित प्रकियानुसार इकट्ठा कर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में जांच करायी जाय। सैम्पल फेल होने की दशा में संबंधित व्यक्ति/एजेन्सी के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय तथा इसका पूर्ण विवरण जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला समन्वयक(मध्याह्न भोजन) के द्वारा रखा जायेगा और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

मध्याह्न भोजन के वितरण से संबधित

- गर्म पका–पकाया भोजन बच्चों को परोसने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि खाने को किसी वयस्क व्यक्ति (अध्यापक/अध्यापिका/विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य/अन्य अभिभावक) चख लें, जिससे भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण हो सके व बच्चों को किसी प्रकार की क्षति न हो।
- **विद्यालय स्तर पर भोजन चखने हेतु सम्बन्धित (अध्यापक/अध्यापिका/विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य/अन्य अभिभावक) का एक रोस्टर तैयार किया जाय तथा रोस्टर रजिस्टर भी व्यवस्थित किया जाय, जिसमें प्रतिदिवस भोजन चखने वाले व्यक्ति का नाम अंकित हो तथा उसके हस्ताक्षर भी कराये जायँ। यदि रोस्टर के आधार पर कोई व्यक्ति अनुपस्थित होता है तो अन्य सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा भोजन चखा जाय।**

- बच्चों को खाना खाने से पूर्व अनिवार्य रूप से साबुन/साबुन का घोल से हाथ धुलवाया जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि बच्चों के बर्तन साफ हों।

पेयजल स्रोत की स्वच्छता से संबंधित

- विद्यालय में उपलब्ध हैण्डपम्प के आसपास की साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा पानी की निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था करायी जाय। इस हेतु पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाय।
- विद्यालय में इस्तेमाल होने के उपरान्त निष्प्रयोजित पानी के सुरक्षित निपटान हेतु सोख्ता गड्ढा तैयार कराया जाय, जिससे कि गंदा पानी भूगर्भ जलस्रोत को संक्रमित न कर सके।
- त्रैमास में कम–से–कम एक बार प्रत्येक विद्यालय में स्थापित हैण्डपंप से उपलब्ध हो रहे पेयजल की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य रूप से जल निगम के द्वारा करायी जाय तथा इसके निष्कर्ष का रिकार्ड विद्यालय स्तर पर रखा जाय। पेयजल संक्रमित पाये जाने की दशा में जल निगम द्वारा तत्काल उपचारात्मक कार्यवाही संपादित की जाय।
- **पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित बिन्दु पर भी रिपोर्ट जल निगम के अधिकारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना समिति की मासिक बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।**

मध्याह्न भोजन के निरीक्षण से संबंधित

- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा माह में निर्धारित निरीक्षण अवश्य कराये जायें तथा निरीक्षण में इंगित कमियों पर जिलाधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता के दृष्टिगत उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- वरिष्ठ सांसद की अध्यक्षता में गठित **जनपद स्तरीय जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति** की नियमित बैठकें करायी जायँ। इन बैठकों में मध्यान्ह भोजन से सम्बन्धित बिन्दुओं पर भी चर्चा की जाय, जिससे मध्यान्ह भोजन योजना का सुचारू संचालन हो सके।
- यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य दिवस में पके–पकाये भोजन का सैम्पल विद्यालय के बन्द होने तक सुरक्षित रखा जाय।

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित

- भोजन पकाने वाले रसोइये स्वच्छता से कार्य करने के साथ–साथ स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें।

- पंचायतीराज विभाग द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का स्वच्छता, हाईजीन व सुरक्षा के दृष्टिगत ***"निर्मल भारत अभियान"*** के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कराया जाय।
- प्रत्येक विद्यालय के बच्चों का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित **आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना** के अधीन अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय।

दुर्घटना की स्थिति से निपटने हेतु

- जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी के दूरभाष नम्बरों के साथ–साथ ***आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा*** (108) तथा ***मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के शिकायत पंजीकरण*** सम्बन्धी *टॉल फ्री नम्बर* (1800–4190–102) प्रत्येक विद्यालय की प्रमुख दीवार पर पर अनिवार्य रूप से पेण्ट करायें जायें तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिये अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित किया जाय।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल।
9. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
10. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

25.7.13
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।